न्यायालय सिविल जज,(जू0 डि0) भदोही-ज्ञानपुर।

प्रकीर्ण वाद सं0 505/2022,

श्रीमती कान्ती देवी आदि बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी भदोही आदि।

दिनांकः 15.10.2022,

प्रार्थीगण श्रीमती कान्ती देवी आदि की ओर से प्रार्थनापत्र 80(2) जा0 दी0 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि दावा वादी में प्रतिवादीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता व नोटिस मजकूर के प्राविधान के अनुपालन से छूट प्रदान किया जावे और दावा वादी अबिलम्ब प्रस्तुत करने व ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान किया जाए। याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस देने से छूट प्रदान करते हुए वाद योजित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हतु संस्थित किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। मामला अर्जेन्ट प्रतीत होता है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। वादी को धारा 80(2) जा0 दी0 के अन्तर्गत वगैर नोटिस दिये वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान दी जाती है। वाद मुन्सरिम आख्या के साथ दिनांक 17.10.2022 को पेश हो एवं प्रकीर्ण के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

प्रभारी/सिविल जज,(जू0 डि0)
भदोही-ज्ञानपुर।